न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या – 35/2018
तारीख निर्णय – 23.03.2021

प्रार्थी :–

1. भवंरलाल पुत्र लालचंदजी उम्र–70 वर्ष जाति–दर्जी निवासी – देसूरी तहसील–देसूरी जिला पाली

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थीगण :–

1. बाबुलाल पुत्र लालचंदजी उम्र–62 वर्ष जाति–दर्जी निवासी–देसूरी हाल निवासी–चन्द्रमानसिंह की चाल, राजेन्द्र नगर, दहिसर(मुम्बई)
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र लालचंदजी उम्र– 66 वर्ष जाति–दर्जी निवासी– देसूरी तहसील–देसूरी जिला–पाली, हाल निवासी– दहिसर(मुम्बई)
3. उप पंजीयन अधिकारी, देसूरी
4. भूमिधारी तहसीलदार देसूरी।

(वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

1– प्रार्थी की ओर से – वकील सुधीर कुमार श्रीमाली।
2– अप्रार्थीगण की ओर से – वकील दिनेश कुमार माली।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

–: निर्णय :– **दिनांक– 23.03.2021**

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राज.काश्त. अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम देसूरी पटवार हल्का देसूरी तहसील देसूरी जिला पाली के खसरा नम्बर 746 रकबा 0.1800 हेक्टर किस्म नहरी अव्वल, खसरा नम्बर 747 रकबा 0.0800 हेक्टर किस्म गेर मुमकिन कुल क्षैत्रफल 0.2600 हैक्टर भूमि विद्यमान है। जिसमें प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 तीनों भाईयों की संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की पूर्व में थी।

यह कि वादग्रस्त आराजी एवं अन्य सम्पत्तियों का प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण के मध्य आपसी मौखिक फैमिली सेटलमेन्ट [illegible] के बाद प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 तीनों भाईयों में समस्त सम्पत्तियों का मौखिक पारिवारिक समझौता हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:46:05 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार नम्बर 2 पर

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

उक्त मौखिक पारिवारिक समझौता अनुसार वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के हिस्से में आई। जिससे प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है।

उक्त मौखिक पारिवारिक समझौता की पालना में उसके माफिक याददाश्ती पारिवारिक समझौता का लिखत प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के मध्य दिनांक 19.06.2003 को गवाह मांगीलाल पुत्र धन्नेश्वरजी दवे निवासी देसूरी, पूनमचंद पुत्र रामाजी कुम्हार निवासी देसूरी के रूबरू नोटेरी पब्लिक देसूरी श्री राजेन्द्र गौतम से तस्दीक करवा कर लिखा गया था। उक्त लिखत में स्टाम्प भी अप्रार्थी संख्या 01 बाबुलाल द्वारा ही कम संख्या 840 दिनांक 19.06.2003 को खरीद किये गये थे। प्रमाण स्वरूप लिखत की प्रति संलग्न है। उक्त पारिवारिक समझौता तथा उसके माफिक का लिखत दिनांक 19.06.2003 **मेमोरण्डम ऑफ फैमिली सेटलमेन्ट** आज भी प्रभावी व वैध है। पारिवारिक समझौता अनुसार सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के हिस्से में आने से वक्त मौखिक फैमिली सेटलमेन्ट से सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी पर एक मात्र प्रार्थी का ही आधिपत्य बहैसियत खातेदार विद्यमान है। जिससे भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है।

यह कि सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी मात्र प्रार्थी के हिस्से की एकमात्र खातेदारी व आधिपत्य ही होने से सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी का उपयोग–उपभोग एकमात्र प्रार्थी द्वारा ही वक्त मौखिक फैमिली सेटलमेन्ट से आज तक निरन्तर शांतिपूर्वक करता आ रहा है एवं बहैसियत खातेदार के वादग्रस्त आराजी पर काश्त, बाड, साफ–सफाई एकमात्र प्रार्थी द्वारा ही की जा रही है तथा उक्त फैमिली सेटलमेन्ट लिखत के अनुसार अपने–अपने हिस्से की भूमि या सम्पति का इन्द्राज अपने–अपने नाम से करवाने हेतु पक्षकारान पूर्णतया पाबन्द है, जो स्पष्ट रूप से वर्णित है। चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 सग्गे भाई है। परस्पर एक–दूसरे पर पूर्ण भरोसा एवं विश्वास रहा।

चूंकि सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी एकमपत्र प्रार्थी के हिस्से की खातेदार व कब्जासूद होने से प्रार्थी को अकेलें सम्पूर्ण वादग्रस्त अराजी का उपयोग–उपभागे करने, काश्त करने का, उस पर बहैयित खातेदार के बने रहने का पूर्ण विधिक अधिकार है। जिसके वाबजूद इतने लम्बे समय पश्चात अप्रार्थी संख्या 01 बाबुलाल दिनांक 30.07.2018 को देसूरी आया तथा वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में गलत नाम दर्ज होने का फायदा उठाने की बदनियति से बेचान करने हेतु लोगो को कहने लगा। जबकि अप्रार्थी संख्या 01 का सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी या उसके किसी भी भाग पर कोई हक अधिकार नही है। जिसके वाबजूद भी अप्रार्थी संख्या 01 गलत तरीके से भू–माफियां किस्म के व्यक्तियों से सम्पर्क कर वादग्रस्त आराजी के हिस्से को गलत बेचान करने हेतु तत्पर है। जबकि उक्त सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी पर एकमात्र प्रार्थी का आधिपत्य है। फैमिली सेटलमेन्ट अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने अपने हिस्से की अन्य सम्पत्ति प्लॉट्स को अन्य को बेचान कर दिया। जिसके बावजूद भी वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण गलत दखलन्दाजी कर रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:46:05 IST
Reason: SelfAttested

वास्तविकता, सत्यता अनुसार सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के हिस्से की होने से प्रार्थी की एकमात्र खातेदारी व कब्जासूद है। जिससे सम्पूर्ण वादग्रस्त आरजाजी के

पेज लगातार नम्बर 3 पर

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

बहैसियत खातेदार के खातेदारी हक अधिकारों की घोषणा प्रार्थी अपने नाम अकेले करवाने का विधिक अधिकारी है। तथा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 लगत दर्ज नाम वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में हटवाने का पूर्ण विधिक अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को वादग्रस्त आराजी या उसके किसी भी भाग को बेचान या हस्तांतरण करने का अधिकारी नहीं है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश है।

यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा वादग्रस्त आराजी के भाग का अन्य बदमाश व्यक्तियों के साथ गलत तथ्य का फायदा उठाने की बदनियति से सम्पर्क करने पर प्रार्थी को इस बात की जानकारी होने से अपने अन्य भाई अप्रार्थी सख्या 02 को फोन कर अप्रार्थी संख्या 01 को समझाने की कोशिश की। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा भी अप्रार्थी संख्या 01 के इस गलत कृत्य की आलोचना फोन पर प्रार्थी से की गई। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 01 को बार–बार समझाया लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 नहीं माना तथा प्रार्थी को गलत धमकिया दी, वादग्रस्त आराजी घाणेराव जाने वाले मुख्य सडक के पास स्थित होने से तथा वादग्रस्त आराजी की बाजारू किमत ज्यादा होने से अप्रार्थी संख्या 01 के मन में दुर्भावना आ गई है। जबकि फैमिली सेटलमेन्ट में जिस पर वादग्रस्त आराजी के किसी भी भाग को अप्रार्थीगण बेचान या हस्तांतरण नहीं करे, जिस हेतु प्रार्थी ने फैमिली सेटलमेन्ट के मेमोरेण्डम की एक प्रति सहित उप पंजीयन कार्यालय देसूरी में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 30.07.2018 को ही पेश किया। जिस पर उप पंजीयन अधिकारी देसूरी द्वारा प्रार्थी को न्यायालय में वाद पेश करने हेतु निर्देशित किया गया। जिससे प्रार्थना पत्र को अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है।

मूल वाद के निर्णय में काफी समय लगेगा, तब तक अप्रार्थीगण अपने लगत मकसद में कमयाब हो जायेंगे। अप्रार्थीगण जबरदस्ती बलपूर्वक वादग्रस्त आराजी को किसी अन्य बदमाश भू–माफिया प्रवृत्ति के व्यक्तियों को बेचान या अन्य हस्तांतरण करने हेतु उतारू है। जिसका कोई हक, अधिकार अप्रार्थीगण को नहीं है। जिससे तुरन्त ही जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को रोकना नितान्त ही अतिआवश्यक है। अन्यथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन भी नहीं किया सकेगा।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस अमर का [illegible] जावे कि मौजा ग्राम देसूरी के खसरा संख्या 746,747 की सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी या उसके किसी भी भाग का बेचान, हस्तांतरण अप्रार्थी सख्यां [illegible] अपने किसी एजेण्ट, प्रतिनिधि से करावें तथा सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी पर [illegible] मात्र प्रार्थी के कब्जे–काश्त,

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:46:05 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार नम्बर 4 पर

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आधिपत्य में अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप, दखलन्दाजी, बाधा, अवरोध नहीं करे तथा न ही किसी अन्य से करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नोटिस तलब किया गया। बाद तलबी के अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से वकील दिनेश कुमार माली एवं अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से वकील मुकेश पुरी गोस्वामी ने वकालत नामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

वकील अप्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी हक अधिकार एवं आधिपत्य की है। वादग्रस्त सम्पत्ति के अलावा अन्य सम्पत्तियां रहवासीय मकान, दुकानें, फ्लेट इत्यादि का विभाजन दिनांक 19.06.2003 को किया गया था। तीनों भाईयों के मध्य किये गये विभाजन को स्टाम्प पर लिखा जाकर निष्पादित किया गया था। पक्षकारान के मध्य संयुक्त सम्पतियों के विभाजन को स्वयं प्रार्थी ने स्वीकार नहीं किया और तय सुदा रूपये देने में प्रार्थी ने आना कानी कर दी थी। इस प्रकार विभाजन विलेख की स्वयं प्रार्थी ने पालना नहीं की थी। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य वर्ष 2006 में होली के त्यौहार पर पारिवारिक मौखिक समझौता नहीं हुआ और ना ही सम्पत्तियों का विभाजन किया गया था।

यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य पारिवारिक मौखिक समझौता कभी भी नहीं किया गया है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य संयुक्त सम्पत्तियों को लेकर विभाजन दिनांक 19.06.2003 को किया गया था, जो नोटेरी से तस्दीक भी किया गया था। इस प्रकार पक्षकारान के मध्य निष्पादित दस्तावेज दिनांक 19.06.2003 संयुक्त सम्पत्तियों के विभाजन इकरार है, न की **मेमोरेण्डम ऑफ फैमिली सेटलमेंट** का लिखत। पक्षकारान के मध्य निष्पादित विभाजन विलेख की प्रार्थी ने पालना नहीं की और न ही प्रार्थी ने तय सुदा रूपये अप्रार्थी को दिये और ना ही मुम्बई स्थित रूम का स्वामित्व हस्तांतरित करवाया है। प्रार्थी स्वयं पूर्व में किये गये विभाजन को ही मान्य करने और पुख्ता करने पर चर्चा कर स्वीकार किया था कि **"विभाजन में तय सुदा राशि का भुगतान संशोधित कर 450000/— रूपये चार लाख पच्चास हजार रूपये तीन तय सुदा किश्तों में कर दिया जायेगा"** जिसको स्टाम्प पर लिखा जाकर दिनांक 21.06.2007 को पक्षकारान ने आपस में निष्पादित कर नोटेरी भी करवाया है। प्रार्थी ने तय किश्तों अनुसार अप्रार्थी को राशि नहीं देने पर, अप्रार्थी द्वारा बार —बार प्रार्थी से पैसे की मांग की गई परन्तु प्रार्थी ने कोई ध्यान नहीं दिया उल्टा गलत जवाब दिया गया। अप्रार्थी ने वर्ष 2011 से लगातार प्रार्थी से सम्पर्क कर रूपयों की मांग की गई परन्तु प्रार्थी ने वर्ष 2018 की होली के त्यौहार पर स्पष्ट मना कर दिया गया कि "कोई विभाजन नहीं, [illegible]"। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.06.2003 दिनांक 21.06.2007 के विभाजन इकरार की पालना नहीं की गई है। जिससे वादग्रस्त सम्पत्ति में एकमात्र प्रार्थी का स्वामित्व निहित नहीं है, ना ही प्रार्थी सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी अपने नाम कराने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:46:05 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थी ने बंटवाडा लिखत दिनांक 19.06.2003 दिनांक 21.06.2007 की पालना नहीं की है और अप्रार्थी को आज दिन तक तय सुदा रूपयों का भुगतान नहीं कर

पेज लगातार नम्बर 5 पर

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

प्रार्थी स्वयं ने बंटवाडा इकरार दिनांक 19.06.2003, दिनांक 21.06.2007 को निरस्त कर दिया है जिससे वादग्रस्त आराजी के सम्पूर्ण सहखातेदारी हक अधिकारों पर प्रार्थी का कब्जा काश्त या हक अधिकार किसी प्रकार से नहीं रहा है। वादग्रस्त आराजी संयुक्त और शामलाती है ,जो वर्तमान भू अधिकार अभिलेखों एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से भी प्रमाणित है।

यह की प्रार्थी स्वयं ने बंटवाडा को मंजूर नहीं किया और राशि अप्रार्थी को नहीं दी। जबकि प्रार्थी को जानकारी है कि अप्रार्थी लगातार बिमार चल रहा है इसलिए अपनी बीमारी के ईलाज के लिए रूपयों की आवश्यकता रहीं है। प्रार्थी स्वयं ने सब कुछ जाने हुए, मिथ्या कथन कर अप्रार्थी को तंग परेशान करने की नियत से झुठा प्रार्थना पत्र पेश किया हैं।

यह कि सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी प्रार्थी स्वयं के नाम घोषित कराने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में मूल अभिवचन वादग्रस्त आरजी को विभाजन के जरिये प्राप्त करना है, प्रार्थी और अप्रार्थी की संयुक्त सम्पत्तियां वादग्रस्त आराजी के अलावा अन्य भी है, जो स्वयं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विभाजन विलेख दिनांक 19.06.2003 मे वर्णित है। विभाजन दस्तावेज दिनांक 19.06.2003 में रूपयों के लेने देने और अन्य स्वामित्व कथन किये गये है जिससे विभाजन का दस्तावेज को पूर्ण स्टाम्पित और पंजीबद्ध किया जाकर ही साक्ष्य में ग्राह्य किया जा सकता है अन्यथा नहीं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एवं वाद विभाजन विलेख दिनांक 19.06.2003 के इकरार की पालना में विभाजन का नहीं होकर खातेदारी हक अधिकारों की घोषणा का है, जिससे दस्तावेज दिनाक 09.06.2003 में वर्णित सम्पत्तियों के विभाजन इकरार की पालना कराई जाकर विभाजन की डिक्री सिविल न्यायालय से प्राप्त किये बिना दस्तावेज को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी और अप्रार्थी की संयुक्त संपत्तियों के विभाजन विलेख दिनांक 19.06.2003 और 21.06.2007 में वर्णित अचल संपत्तिया आवासीय मकान, फ्लेट्स, दुकाने इत्यादी है। दस्तावेज में वर्णित संपूर्ण कृषि और आवासीय अचल संपत्त्यिों के विभाजन का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं है, संपूर्ण कृषि और आवासीय अचल संपत्तियों के विभाजनन की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय सिविल न्यायालय को होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। दस्तावेज दिनांक 19.06.2003 और 21.06.2007 दोनों ही अपंजीकृत एवं अनस्टाम्पड है, जिससे भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खातेदारी की घोषणा का विधि वर्जित है। अनस्टाम्पड एवं अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के जरिये खातेदारी घोषित नहीं की जा सकती है प्रार्थी सम्पूर्ण संयुक्त सम्पतियों का विभाजन कराये बिना [illegible] सम्पति वादग्रस्त आराजी में घोषणा का प्रार्थना पत्र एवं वाद पत्र नहीं कर सकता [illegible] प्रार्थना पत्र विधि वर्जित होने से खारिज योग्य है। अप्रार्थी का नाम [illegible] अभिलेखो मे विभाजन दिनांक 19.06.2003 के पूर्व से इन्द्राज चला आ रहा है जो सही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:46:05 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थी को अप्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार से प्रार्थना पत्र हेतुक प्राप्त नहीं होता है। पक्षकारान के मध्य पारिवारिक मौखिक समझौता कभी नहीं हुआ है।

पेज लगातार नम्बर 6 पर

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

लिखित में सभी संयुक्त सम्पत्तियों का विभाजन इकरार के जरिये किया गया है , लेकिन प्रार्थी ने पालना नहीं कर अप्रार्थी और न्यायालय को मुगालते मे रखा है। जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र हेतुक बाबत खातेदारी घोषणा का कभी किसी प्रकार से प्राप्त नहीं हुआ है। प्रार्थना पत्र के हेतुक के अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अप्रार्थी ने प्रार्थी को कभी भी किसी भी प्रकार से धमकिया नही दी है। प्रार्थी की नियत खराब हो चुकी है। जिससे वह विभाजन के समय तय राशि देना नहीं चाहता है और बदले मे जमीन को हडप करना चाहता है जिससे प्रार्थी ने संपूर्ण दस्तावेज मे वर्णित आराजी के अलावा एक मात्र वादग्रस्त आराजी का वाद पेश किया हे। उप पंजीयक अपने क्षेत्राधिकार से बारह जाकर अन्य कोई आदेश करने का अधिकार नहीं है। उप पंजीयक का क्षेत्राधिकार के बाहर यदि कोई आदेश है भी तो वह विधि शुन्य एवं निष्प्रभावी है। जिसकी कानून में कोई मान्यता नहीं है और ना ही उप पंजीयक को कोई निर्देश देने का कोई अधिकारी है। विभाजन इकरार की पूर्ण पालना के अभाव में प्रार्थी संपूर्ण वादग्रस्त आराजी पर कब्जा बनाये रखता है तो इससे अप्रार्थी को अपूणीय क्षति होगी।

यह कि प्रार्थी ने मात्र और मात्र बिमार अप्रार्थी का तंग, पेरशान करने माफिक बंटवाडा रूपये नहीं देकर वादग्रस्त आराजी को हडप करने की बदनियती से वाद पेश किया है। जबकि विभाजन इकरार दिनांक 19.06.2003 में भी रूपये प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को देने का कथन अभिवर्णित है। फिर भी प्रार्थी ने जानबुझकर छुपाते हुए मिथ्या कथन कर वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है जो प्रथम दृष्टया खारिज योग्य है। अप्रार्थी अभिलिखत खातेदार है, सहखातेदारी में कब्जा एक कब्जा सभी कब्जा माना जाता है, सह खातेदार का कब्जा प्रत्येक इंच पर होता है। सहखातेदार को निहित खातेदारी हक अधिकारों से वंचित करने के लिये जरिये निषेधाज्ञा नहीं रोका जा सकता है । यदि अप्रार्थी के विरूद्ध निषेधाज्ञ आदेश जारी किया जाता है तो अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, एक तरफ प्रार्थी वादग्रस्त आराजी में हक जता रहा है और दूसरी तरफ विभाजन इकरार दिनांक 21.06.2007 में वर्णित राशि भी नहीं लौटा रहा है जबकि अप्रार्थी गंभीर बीमारी से पीडित है, जिसको ईलाज हेतु रूपयों की सख्त आवश्यकता है। जिससे अपूर्णीय क्षति का सिद्वान्त भी अप्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सव्यय खारीज किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से इकबालिया जबाव पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम देसूरी के खसरा नम्बर 746, 747 कुल रकबा 0.2600 हैक्टर भूमि विद्यमान है। जो मौखिक परिवारिक समझौता में प्रार्थी भंवरलाल के हिस्से में आई थी। जिसका पारिवारिक समझौता दिनांक 19.06.2003 को मांगीलाल दवे, पूनमचन्द कुम्हार, अशोक माहेश्वरी टाईपिस्ट के रूबरू तैयार [illegible] गौतम नोटेरी पब्लिक देसूरी तस्दीकसूदा परस्पर निष्पादित हुआ [illegible] समझौता लिखत आज भी प्रभावी व वैध है। जिससे वादग्रस्त आराजी [illegible] भंवरलाल के हिस्से में ही आई थी। आज तक भंवरलाल का ही वादग्रस्त आराजी पर क[illegible] काश्त लगातार बिना किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:46:05 IST
Reason: Self Attested

पेज लगातार नम्बर 7 पर

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

हस्तक्षेप के विद्यमान है। अतः प्रार्थना पत्र का अनुतोष सही व सत्यता अनुसार वास्तविक होने से वाद स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं इस पत्रावली व मूल वाद–पत्र की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। तथा वकुलाय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये।जिनका न्यायालय द्वारा मार्गदर्शन लिया गया।

प्रार्थी द्वारा –

1- 2020(2) RRT Page No 1096
2- 2012 (1) RRT Page No 576
3- 2011 (1) RRT Page No 680 (HC)
4- 2010 (1) DNJ (SC) Page No 208
5- 2014 (1) WLN Page No 79

अप्रार्थी द्वारा –

1- 2013(1) AIR Page No 27
2- 2009(2) SLC Page No 105
3- 2001(1) RRT Page No 10
4- 2006 (1) Civil 668 raj
5- 2009 (2) RRT Page No 867 Raj HC
6- 2009(2) RRT Page NO 1425 DB
7- 2009(1) RRT Page No 25
8- 2006(1) RRT Page No 192
9- 2013 (2) RRT Page No 1108

इस प्रार्थना पत्र मे निस्तारण हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने बाबत निम्न तीन बिन्दुओं पर विचारण किया गया।

प्रथम दृष्टया मामला :– प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित किया कि विवादग्रस्त आराजी संख्या खसरा नम्बर 746 एवम् 747 प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण के सयुक्त खातेदारी की थी। जो कि मौखिक पारिवारिक समझौता अनुसार प्रार्थीके हिस्से में आई। उक्त मौखिक पारिवारिक समझौते की पालना में उसके माफिक याददाश्ती पारिवारिक समझौता का लिखत प्रार्थी एवम् अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य दिनांक 19.06.2003 को तरी से तस्दीक शुदा सम्पन्न हुआ। उक्त मौखिक पारिवारिक समझौते के माफिक लिखत 19.06.2003 Mamorandum of family settlement आदि प्रमाणित एवम् वैध है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:46:05 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र के जवाब में वर्णित किया कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी हक अधिकार एवम् अधिपत्य की है। वादग्रस्त सम्पति के अलावा अन्य

पेज लगातार नम्बर 8 पर

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सम्पतियॉं रहवासीय मकान, दूकाने, फ्लेट इत्यादि का विभाजन भी दिनांक 19.06.2002 को स्टाम्प पर लिखा जाकर निष्पादित किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ने मौखिक एवम् लिखित समझौते की ताहिद करते हुए वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के पक्ष में ही आने का कथन किया है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवम् उभयपक्ष की बहस के अनुसार विवादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की है। परन्तु एक लिखत समझौते दिनांक 19.06.2003 के आधार पर प्रार्थी के हिस्से में आई है जिससे प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तीनों ने सहमति व्यक्त की हैं अतः न्यायालय की राय में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

सुविधा का संतुलन :– प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित किया एवम् बहस में कथन किया कि उक्त मौखिक पारिवारिक समझौते की पालना में उसके माफिक याददाश्ती पारिवारिक समझौते का लिखत प्रार्थी एवम् अप्रार्थी के मध्य दिनांक 19.06.2003 को टाईप करवाकर गवाहो के हस्ताक्षर करवाकर नोटेरी से तस्दीक करवाया गया उक्त Mamorandum of family settlement आज भी प्रभावी एवम् वैध है अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित किया कि वादग्रस्त आराजी के अलावा अन्य सम्पतियॉं का विभाजन स्टाम्प पर लिखा जाकर दिनांक 19.06.2003 को निष्पादित किया गया। प्रार्थी एवम् अप्रार्थी के मध्य पारिवारिक मौखिक समझौता कभी नही हुआ। पक्षकाराने के मध्य निष्पादित दस्तावेज दिनांक 19.06.2003 संयुक्त सम्पतियों के विभाजन का इकरार है न कि Mamorandum of family settlement है। प्रार्थी द्वारा उक्त विभाजन के इकरार की पालना नही की एवम् तयशुदा रूपये देने में प्रार्थी ने आना कानी कर दी। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही है।

अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उक्त लिखत दस्तावेज की ताहिद की एवम् विवादित आराजियात प्रार्थी के हिस्से में आना वर्णित किया है। उपर्युक्त विवेचन में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा 19.06.2003 की लिखत को Mamorandum of family settlement माना है। अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा इसका विरोध करते हुए "विभाजन का इकरार" माना है। एवम् प्रार्थी द्वारा इस विभाजन के इकरार की पालना न करने से विवादग्रस्त आराजी में सयुक्त खातेदारी में हक एवम् हिस्सा निहित माना है। न्यायालय की राय में दिनांक 19.06.2003 को निष्पादित दस्तावेज की वैधता को लेकर जो विवाद है इसका निस्तारण 212के अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के विचारण के दौरान नही किया जा सकता है। मूल वाद के निस्तारण से ही इसका समाधान संभव है। दिनांक 19.06.2003 की लिखत के आधार पर न्यायालय की राय में सुविधा का संतुलन ... है। यदि प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती तो ... होने वाली असुविधा अप्रार्थी को होने वाली असुविधा से अधिक होगी जितनी कि प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 1 को होगी। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

पेज लगातार नम्बर 9 पर

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:46:05 IST
Reason: SelfAttested

अपूरणीय क्षति :– प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तीनो ने दिनांक 19.06.2003 की लिखत से सहमति व्यक्त की है। जिससे विवादग्रस्त आराजी प्रार्थी के हक व हिस्से में आई है। यादि न्यायालय द्वारा इस बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की गई एवम् अप्रार्थीगणो द्वारा उसमें विद्यमान हक एवम् हिस्से को बेचान कर दिया या कब्जे में दखल किया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसका की मूल्याकन रूपयों पैसों में नही किया जा सकेगा। अतः न्यायालय की राय में अपूरणीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत तीनों बिन्दु प्रार्थी पक्ष में साबित होने से न्यायालय की राय में प्रार्थी का यह अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता है। अतएवं

–: आदेश :–

प्रार्थी का यह अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा ग्राम देसूरी पटवार हल्का देसूरी तहसील देसूरी जिला पाली के खसरा नम्बर 746 रकबा 0.1800 हैक्टर किस्म नहरी अव्वल, खसरा नम्बर 747 रकबा 0.0800 हेक्टर किस्म गैर मुमकिन कुल क्षेत्रफल 0.2600 हैक्टर भूमि का मूल वाद के निस्तारण तक बेचान एवम् हस्तांतरण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 या उसके एजेन्ट,प्रतिनिधि किसी अन्य को नही करे तथा स्वयं या अप्रार्थीगण अपने कोई प्रतिनिधि नौकर, रिश्तेदार एवं ऐजेन्ट के मार्फत या किसी अन्य व्यक्ति के मार्फत गैर कानूनी ढंग से अवैध तरीके से जोर जबरदस्ती प्रवेश नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)
देसूरी

निर्णय आज दिनांक 23.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
सहायक कलेक्टर
देसूरी
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:46:05 IST
Reason: SelfAttested